मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 5-5 /2017/1-9 भोपाल, दिनांक जुलाई, 2017 5/8/2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग

समस्त विभागाध्यक्ष,

समस्त संभागीय आयुक्त

समस्त कलेक्टर

समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

विषय -: मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली में मतांकन की अवधि में संशोधन बाबत्।

संदर्भ:- इस कार्यालय का परिपत्र क्रमांक एफ 5-4/98/एक/9 दिनांक 13 जनवरी, 1999 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 5-2/2009/1-9 दिनांक 23 जुलाई 2014

--0--

मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों के लिए सामान्य पुस्तक परिपत्र-भाग-एक-सात में गोपनीय प्रतिवेदन/चरित्रावली लिखने के संबंध में नियम निर्देश, प्रक्रिया तथा समय सारणी निर्धारित की गई है एवं समय-समय पर उसके अनुक्रम में जारी किए गए कार्यकारी निर्देशों के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है।

2/ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 13/01/1999 की कंडिका 2 में गोपनीय चरित्रावली में मतांकन की समयावधि तथा परिपत्र दिनांक 23/07/2014 की कंडिका 2 में वर्णित समयावधि में संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों के लिए वर्ष 2017-18 से लिखी जाने वाली चरित्रावली में मतांकन की अवधि में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

(1)	संबंधित शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों को फार्म उपलब्ध कराए जाने की तिथि	30 अप्रैल
(2)	सेल्फ असेसमेंट प्रस्तुत करने की अवधि	30 जून
(3)	प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन	31 अगस्त
(4)	समीक्षक अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन	30 सितम्बर
(5)	स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन	30 नवम्बर

इस प्रकार सभी स्तरों से अंतिम रूप से मतांकन की अंतिम तिथि कैलेण्डर वर्ष की अंतिम तिथि अर्थात 31 दिसम्बर रहेगी। 31 दिसम्बर की स्थिति में सभी ACR संधारण विभाग के संरक्षण में संधारित की जाएगी। self assessment प्रस्तुत होने की तिथि में वृद्धि होने से उतने ही दिनों की सभी स्तरों पर वृद्धि होगी किन्तु 31 दिसम्बर अंतिम तिथि रहेगी।

3/ स्वमूल्यांकन प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि 30 जून एवं सभी स्तरों से मतांकन पूर्ण किए जाने के लिए अंतिम तिथि 30 नवम्बर रहेगी। प्रतिवेदक अधिकारी एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी के लिए दो माह तथा समीक्षक अधिकारी के लिए एक माह की समय-सीमा होगी। दिनांक 31 दिसम्बर के पश्चात दर्ज होने वाले मतांकन को समय बाधित माना जाएगा और तदाशय की सील गोपनीय प्रतिवेदन पर अंकित की जाएगी। यदि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी ने अपना स्वमूल्यांकन ही उसके निर्धारित अंतिम तिथि 30 जून तक प्रस्तुत नहीं किया है, तो उसे भी समय बाधित माना जाएगा और तदाशय की सील गोपनीय प्रतिवेदन पर अंकित की जाएगी और प्रतिवेदक अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन बिना स्वमूल्यांकन कर लिखेंगे। यदि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी ने तो अपना स्वमूल्यांकन समय पर प्रस्तुत कर दिया है, परन्तु उस पर चैनल अनुसार किसी भी स्तर पर मतांकन अंतिम तिथि अर्थात 31 दिसम्बर तक नहीं हो पाया है तो इसके पश्चात कोई भी टिप्पणियां अभिलिखित नहीं की जा सकेंगी और ऐसी स्थिति में इन स्तरों के मूल्यांकन को समय बाधित माना जायेगा। ऐसे प्रकरणों में संबंधित पदोन्नति समिति द्वारा अधिकारी/कर्मचारी के समग्र अभिलेख और संबंधित वर्ष के स्वमूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा।

4/ online/offline दोनों के लिए ही यह व्यवस्था लागू रहेगी। Online व्यवस्था के अंतर्गत जनवरी माह से तैयारी प्रारंभ कर देना चाहिए ताकि अप्रैल माह के मध्य तक संबंधित शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को फार्म उपलब्ध हो सकें।

5/ संदर्भित परिपत्रों दिनांक 13/01/1999 एवं 23 जुलाई, 2014 की शेष कण्डिकाएं यथावत् रहेंगी।

6/ उक्त परिपत्र के अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र (G.B.C.) संशोधित माना जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Awasthi 31/07/17

(डॉ. अमिताभ अवस्थी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 5-5 /2017/1-9 भोपाल, दिनांक जुलाई, 2017

5/8/2017

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर ।
5. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल ।
6. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर ।
7. विशेष सहायक/निज सचिव, मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन।
8. अध्यक्ष म.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग, म.प्र. भोपाल।
11. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता/अधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
12. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
13. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
14. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
15. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश।
16. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
17. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश भोपाल।
18. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
19. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
20. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (7-1) की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
21. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु अग्रेषित ।

31/07/17

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

प्रशासन विभागसामान्य